न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2016

अनवान :

1. मनप्रीत पुत्री सुरेन्द्रकुमार उम्र 1 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती माता रोशनीदेवी बेवा सुरेन्द्र कुमार पुत्री रतनाराम उम्र 25 वर्ष जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा हाल सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

- वादिया

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- असल प्रतिवादी

2. सुमन } पुत्रियां महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीगण डाबडी
3. मन्जु } तहसील भादरा।
4. कृष्णकुमार पुत्र दलीपसिंह जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण.

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री अमित देहडु **: वादी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग **: प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता सं0 269/246 के खसरा सं0 233/3 की 0.3710 है0 खसरा सं0 368/1 की 0.3750 है0 खसरा सं0 372/1 की 0.3450 है0 कुल 1.0910 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह 0.838 है0 व प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार 0.253 है0 का खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता सं0 270/55. के खसरा सं0 233/6 की 0.5460 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है जो वादिया की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है व पूर्वजों के समय से चली आ रही है। प्रतिवादी महेन्द्रसिंह परिवार का कर्ता होने के कारण वादभूमि उसके अकेले के नाम खातेदारी चली आ रही है जबकि उक्त कृषि भूमि में वादीया मनप्रीत का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीया सुमन व मन्जु प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा जन्म से निहित है जो इसी अनुसार क़ानूनन खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद भूमि में दर्ज महेन्द्रसिंह के हिस्सा में वादीया एवं प्रतिवादीया सुमन व मंजु बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। महेन्द्रसिंह के अकेले का नाम दर्ज रहने से पक्षकारान के मध्य लगान, सींव डोल आदि को लेकर मनमुटाव बना रहता है। प्रतिवादी महेन्द्रसिंह नशा प्रवृति एवं नशे का आदी है। वादीया के पिता की दिनांक 25.05.2015 को मृत्यु हो चुकी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने लोक अदालत

की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को तर्क किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में प्रस्तुत चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम डाबडी सम्वत् 2071 से 74 में विवादित कृषि भूमि वादिया के दादा महेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज है एवं वादिया व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के मध्य विवादित कृषि भूमि बाबत राजीनामा हो है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता सं0 269/246 के खसरा सं0 233/3 की 0.3710 है0 खसरा सं0 368/1 की 0.3750 है0 खसरा सं0 372/1 की 0.3450 है0 कुल 1.0910 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह 0.838 है0 व प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार 0.253 है0 का खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता सं0 270/55 के खसरा सं0 233/6 की 0.5460 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है में अकले प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के बजाय वादीया मनप्रीत 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंकं के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीया मनप्रीत के नाम 1/4 हिस्सा व महेन्द्र के नाम दर्ज शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर व प्रतिवादी सं0 4 कृष्ण कुमार की 0.253 है0 कृषि भूमि यथावत् रखी जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जांकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2016

अनवान :

1. मनप्रीत पुत्री सुरेन्द्रकुमार उम्र 1 वर्ष नाबालिग जरिंये वली कुदरती माता रोशनीदेवी बेवा सुरेन्द्र कुमार पुत्री रतनाराम उम्र 25 वर्ष जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा हाल सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– वादिया

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– असल प्रतिवादी

2. सुमन } पुत्रियां महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीगण डाबडी
3. मन्जु } तहसील भादरा।
4. कृष्णकुमार पुत्र दलीपसिंह जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमील देहडु व वकील प्रतिवादी श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डाबडी के खाता सं0 269/246 के खसरा सं0 233/3 की 0.3710 है0 खसरा सं0 368/1 की 0.3750 है0 खसरा सं0 372/1 की 0.3450 है0 कुल 1.0910 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह 0.838 है0 व प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार 0.253 है0 का खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता सं0 270/55 के खसरा सं0 233/6 की 0.5460 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है में अकले प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के बजाय वादीया मनप्रीत 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीया मनप्रीत के नाम 1/4 हिस्सा व महेन्द्र के नाम दर्ज शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर व प्रतिवादी सं0 4 कृष्ण कुमार की 0.253 है0 कृषि भूमि यथावत् रखी जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14-5-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)